

GOVERNMENT OF INDIA


 सत्यमेव जयते
दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 303]	दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 1, 2019/कार्तिक 10, 1941	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 277
No. 303]	DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 1, 2019/KARTIKA 10, 1941	[N.C.T.D. No. 277

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 1 नवम्बर, 2019

सं.फा. 23(1549)/सीएपी/परि./पीसीडी/2019/1579/78617.—जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एक करोड़ दस लाख से अधिक पंजीकृत वाहन हैं तथा वाहन प्रदूषण वायु प्रदूषण का बहुत बड़ा स्रोत बन गया है ;

जबकि, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने समय-समय पर तत्काल कार्यवाही करने और दिल्ली में वाहन प्रदूषण के खतरनाक स्तर को नियंत्रण में लाने हेतु तत्काल कार्यवाही करने के लिये विभिन्न निर्देश दिए हैं तथा माननीय न्यायालयों के निर्देशों को लागू करने के लिये सभी प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं।

इसलिए, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (41) के साथ पठित धारा 115 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इस विचार से सहमति रखते हुए कि चार पहिया गैर परिवहन वाहनों (मोटर कार इत्यादि) के कारण होने वाले वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये अधिक उपाय करने चाहिए, सार्वजनिक सुरक्षा के हित को देखते हुए एतद्वारा आदेश देते हैं कि निम्नलिखित निषेधात्मक/प्रतिबंधक उपाय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू होंगे, अर्थात् :-

- (i) गैर परिवहन चार पहिया वाहन (मोटर कार आदि) जिसका पंजीकृत नम्बर विषम अंकों (1, 3, 5, 7, 9) से समाप्त होता है उनका नवम्बर महीने की समसंख्यक तिथियों 04, 06, 08, 12 तथा 14 नवम्बर तथा गैर परिवहन चार पहिया वाहन (मोटर कार आदि) जिसका पंजीकृत नम्बर समसंख्यक अंकों (0, 2, 4, 6, 8) से समाप्त होता है उनका अप्रैल महीने की विषम तिथियों 05, 07, 09, 11, 13 तथा 15 नवम्बर को चलाना निषेध होगा।

- (ii) यह प्रतिबंध अन्य राज्यों में पंजीकृत गैर परिवहन चार पहिया वाहनों पर भी लागू होगा।
- (iii) यह प्रतिबंध इन तिथियों में प्रातः 8 बजे से सायं 8 बजे तक लागू होगा।
- (iv) यह प्रतिबंध रविवार को लागू नहीं होगा।
- (v) यह प्रतिबंध इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में यथा उल्लिखित ऐसी श्रेणियों के वाहनों पर लागू नहीं होगा।
- (vi) इस अधिसूचना का उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194 की उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसरण में जुर्माना लगाया जायेगा।

आगे, दिल्ली मोटर वाहन नियमावली के नियम 123 के साथ पठित मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59), की धारा 200 की उपधारा (1) तथा धारा 213 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा 4,000/-रुपये की राशि का भुगतान करने पर पूर्वोक्त अपराध के प्रशमन के लिये निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करते हैं, अर्थात् :-

- (क) दिल्ली पुलिस के प्रधान सिपाही के रैंक तथा उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी।
- (ख) परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रधान सिपाही के रैंक तथा उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी।
- (ग) राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सभी उपमंडलीय दण्डाधिकारी तथा तहसीलदार।
- (घ) दिल्ली परिवहन निगम के सहायक यातायात निरीक्षक (एटीआई) तथा उसके उपर के रैंक के अधिकारी।

उपरोक्त (ग) और (घ) पर उल्लेखित ऐसे सभी अधिकारियों को, इस अधिसूचना के उल्लंघन में अपराध करने के लिये उपरोक्त अधिनियम, की धारा 194 के अधीन अभियोजन शुरू करने हेतु धारा 213 की उपधारा (5) के खंड (ई) की शक्ति का प्रयोग करने के लिए भी प्राधिकृत किया जाता है तथा उन्हें इन उद्देश्यों के लिए दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 के नियम 123 के साथ पठित उपरोक्त अधिनियम, की धारा 213 की उपधारा (1) के अन्तर्गत परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिकारी समझा जाएगा।

प्राधिकृत अधिकारियों/प्राधिकारियों द्वारा प्रशमन की गई राशि परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के "मैजर हैड 0041, वाहन पर कर, 101 – एमवी (शुल्क एवं जुर्माना)" में जमा कराई जाएगी।

उक्त अधिसूचना दिनांक 04 नवम्बर, 2019 से प्रभावी होगी तथा 15 नवम्बर, 2019 तक लागू रहेगी।

अनुसूची

- (i) भारत के राष्ट्रपति के वाहन;
- (ii) भारत के उप-राष्ट्रपति के वाहन;
- (iii) भारत के प्रधानमंत्री के वाहन;
- (iv) राज्यों के राज्यपालों के वाहन;
- (v) भारत के मुख्य न्यायाधीश के वाहन;
- (vi) लोकसभा अध्यक्ष का वाहन;
- (vii) संघ के मंत्रियों के वाहन;
- (viii) लोकसभा/राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष के वाहन;
- (ix) भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वाहन;
- (x) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल का वाहन;
- (xi) राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्रियों के वाहन/ अन्य संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री को छोड़कर;
- (xii) लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के वाहन;
- (xiii) अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त/चुनाव आयुक्तों तथा भारत के लेखानियंत्रक – महालेखापरीक्षक के वाहन;
- (xiv) राज्यसभा के उपाध्यक्ष का वाहन;

- (xv) लोकसभा के उपाध्यक्ष का वाहन;
- (xvi) दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशों के वाहन;
- (xvii) राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के वाहन;
- (xviii) लोकायुक्त का वाहन;
- (xix) आपातकालीन वाहन अर्थात् एम्बुलेंस, दमकल, अस्पताल, जेल, शव वाहन;
- (xx) प्रवर्तन वाहनों अर्थात् पुलिस के वाहन, परिवहन विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वाहन, अर्धसैनिक बल इत्यादि के वाहन तथा मंडलीय आयुक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा प्राधिकृत वाहन;
- (xxi) रक्षा मंत्रालय की नम्बर प्लेटों वाले वाहन;
- (xxii) पायलेट/एस्कोर्ट वाले वाहन;
- (xxiii) विशेष सुरक्षा बल (एसपीजी) के वाहन;
- (xxiv) सीडी नंबर और संयुक्त राष्ट्र के नंबर वाले राजनयिक वाहन तथा डिप्लोमैटिक एनटीटी (टीएआईपीईआई) आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र (टीईसीसी) के वाहन;
- (xxv) आपातकालीन चिकित्सा के लिये उपयोग में लाए जा रहे वाहन— (विश्वास आधारित होंगे);
- (xxvi) वाहन जिन में केवल महिलाएं व 12 वर्ष तक की आयु के बच्चे हों।
- (xxvii) विकलांग व्यक्ति द्वारा चलाये जा रहे वाहन;/वाहन जिन में विकलांग व्यक्ति बैठे हों।
- (xxviii) राज्य चुनाव आयुक्त, दिल्ली तथा चंडीगढ़ का वाहन।
- (xxix) ऐसे वाहन जिनमें वाहन चालक के अतिरिक्त केवल विधालय की वर्दी में बच्चा/बच्चे बैठे हो।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

राजीव वर्मा, प्रधान सचिव एवं आयुक्त (परिवहन)

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 1st November, 2019

No. F. 23(1549)/CAP/TPT/PCD/2019/ 1579/78617.—Whereas the National Capital Territory in Delhi has more than eleven million registered vehicles and the vehicular pollution has become a major source of air pollution in Delhi;

Whereas, Hon'ble Supreme Court of India, Hon'ble High Court of Delhi and Hon'ble National Green Tribunal have passed various directions from time to time to take immediate action to control the alarming level of vehicular pollution in Delhi and all out efforts are being made to give effect to the directions of the Hon'ble Courts.

Therefore, in exercise of the powers conferred by section 115 read with clause (41) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988, (59 of 1988), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that further steps are required to control vehicular pollution caused by non-transport four wheeled vehicles (motor cars etc.), hereby orders in the interest of public safety, that the following prohibitory / restrictive measures shall be in force in the area of the National Capital Territory of Delhi, namely :—

- (i) The plying of non-transport four wheeled vehicles (Motor Cars etc.) having registration number ending with odd digit (1, 3, 5, 7, 9) shall be prohibited on 4th, 6th, 8th, 12th and 14th November, 2019 and plying of the non-transport four wheeled Vehicles having registration number ending with even digit (0, 2, 4, 6, 8) shall be prohibited on 05th, 07th, 09th, 11th, 13th and 15th November, 2019.

- (ii) These restrictions shall also apply to the non-transport four wheeled vehicles bearing registration number of other states.
- (iii) These restrictions shall be applicable from 8 AM to 8 PM of such dates.
- (iv) These restrictions shall not be applicable on Sunday.
- (v) These restrictions shall not apply to the vehicles of such categories as mentioned in the Schedule annexed to this notification.
- (vi) Violation of this notification shall attract fine in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 194 of the Motor Vehicles Act, 1988.

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 200 and under sub-section (1) of section 213 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), read with rule 123 of the Delhi Motors Vehicles Rules, 1993, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to authorize the following officers to compound the aforementioned offence with the amount of Rs. 4,000/-, namely :—

- (a) Officers of the rank of Head Constable and above of Delhi Police.
- (b) Officers of the rank of Head Constable and above of the Transport Department, Government of the National Capital Territory of Delhi.
- (c) All Sub Divisional Magistrates and Tehsildars of the Revenue Department, Government of the National Capital Territory of Delhi.
- (d) Assistant Traffic Inspector (ATI) and above of the Delhi Transport Corporation.

The aforementioned officers at point (c) and (d) above, are also authorised to exercise the powers under clause (e) of sub-section 5 of section 213 of the said Act, to launch prosecution under section 194 of the said Act, 1988 for the offences committed in violation of this notification and they will be deemed to be officers of Transport Department, GNCTD under sub-section (1) of section 213 of the said Act, read with rule 123 of the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993 for these purposes.

The amount compounded by the authorised officers/authorities shall be deposited in the "Major Head 0041, taxes on vehicles, 101-MV (Fee & Fine)", of the Transport Department, Government of the National Capital Territory of Delhi.

The above notification shall come into force with effect from **4th November, 2019** and will remain in force till **15th November, 2019**.

SCHEDULE

- (i) Vehicles of the President of India;
- (ii) Vehicles of the Vice President of India;
- (iii) Vehicles of the Prime Minister of India;
- (iv) Vehicles of Governors of States;
- (v) Vehicles of Chief Justice of India;
- (vi) Vehicle of the Speaker of Lok Sabha;
- (vii) Vehicles of the Ministers of the Union;
- (viii) Vehicles of the Leaders of Opposition in the Rajya Sabha and Lok Sabha;
- (ix) Vehicles of the Judges of Supreme Court of India;
- (x) Vehicle of Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi;
- (xi) Vehicles of Chief Ministers of States / Union Territories/ Lieutenant Governor of other Union Territories except Chief Minister, Government of National Capital Territory of Delhi;
- (xii) Vehicles of the Chairperson and Members of Lokpal;
- (xiii) Vehicle of Chairperson, Union Public Service Commission, Vehicles of Chief Election Commissioner / Election Commissioners and Vehicle of Comptroller and Auditor General of India;
- (xiv) Vehicle of the Deputy Chairman of Rajya Sabha ;

-
-
- (xv) Vehicle of the Deputy Speaker of Lok Sabha;
 - (xvi) Vehicles of the Chief Justice and Judges of Delhi High Court;
 - (xvii) Vehicles of the Chairperson and Members of National Green Tribunal;
 - (xviii) Vehicle of the Lokayukta;
 - (xix) Emergency Vehicles i.e. Ambulance, Fire Brigade, Hospital, Prison, Hearse vehicles;
 - (xx) Enforcement vehicles i.e. vehicles of Police, vehicles of Transport Department of GNCTD, vehicles of para military forces etc. and vehicles authorised by the Divisional Commissioner of GNCTD;
 - (xxi) Vehicles bearing Ministry of Defence number plates;
 - (xxii) Vehicles which are having a pilot / escort;
 - (xxiii) Vehicles of SPG protectees;
 - (xxiv) Diplomatic vehicles bearing CD numbers and UN numbers and vehicles of the diplomatic entity TAIPEI Economic and Cultural Centre (TECC);
 - (xxv) Vehicles being used for medical emergencies – (will be trust based);
 - (xxvi) Women only vehicles - including children of age upto 12 years travelling with them;
 - (xxvii) Vehicles driven/occupied by handicapped persons;
 - (xxviii) Vehicle of State Election Commissioner, Delhi & Chandigarh.
 - (xxix) Vehicles exclusively carrying child / children in school uniform in addition to driver.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

RAJEEV VERMA, Principal Secy.-cum-Commissioner (Transport)